

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:
327/प्रा0पत्र/2017

तारीख दायरा
08.11.2017

तारीख निर्णय
07.05.2018

राजराजेश्वर दत्त जोशी आ0 घनश्याम लाल जोशी जाति ब्राहामण
निवासी नवजीवन संघ कॉलोनी, नैनवां रोड़, बून्दी जिला बून्दी
(राजस्थान)

- प्रार्थी

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से - श्री कैलाश चंद गुप्ता, अभिभाषक।


-: निर्णय :-

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65(ख) राजस्थान कोर्ट फीस स्टाम्प वैल्यूएशन रूल्स 1961 के नियम 27(1) तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त कर 03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक 646-649/रीडर/2018 दिनांक 12.04.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को अधिकृत किया गया है।

प्रार्थना पत्र राजराजेश्वर दत्त जोशी आ0 घनश्याम लाल जोशी जाति ब्राहामण निवासी नवजीवन संघ कॉलोनी, नैनवां रोड़, बून्दी जिला बून्दी ने जर्गे अभिभाषक श्री कैलाश चंद गुप्ता के द्वारा दिनांक 31.10.2017 को पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्र.सं.-01, बूदी के न्यायालय द्वारा दीवानी वाद संख्या 38/2017 उनवान श्री राजराजेश्वर दत्त बनाम पोखरमल का वाद लोक अदालत की भावना से जर्गे राजीनामा प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जिसमें प्रार्थी को कोर्ट फीस 90,520/-/- रुपये वापस लौटाये जाने का आदेश पारित हुआ है। न्यायालय द्वारा कोर्ट फीस भुगतान हेतु



प्रमाण पत्र एवं प्रारूप संख्यांक 1117 दिनांक 28.10.2017 जारी किया गया है। अतः प्रार्थी को कोर्ट फीस राशि 90,520/- रुपये का भुगतान किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्र.सं.-01 बूंदी के प्रमाण पत्र एवं प्रारूप संख्यांक 1117 दिनांक 28.10.2017 से प्रार्थी को न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) राशि 90,520/- रुपये (अक्षरे- नब्बे हजार पाँच सौ बीस रुपये) लौटाने के आदेश दिये गये हैं। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्र.सं.-01 बूंदी के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कोर्ट फीस स्टाम्प 25000/- रुपये के 03 नग, स्टाम्प नम्बर 040322 से 040324 तक, 5000/- रुपये के 03 नग, स्टाम्प नम्बर 085544 से 085546, 500/- का एक नग, स्टाम्प नम्बर 064715, 05/- रुपये के चार नग, कुल नग 11, कुल स्टाम्प राशि 90,520/- रु० राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (5) F.D./कर/03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार राजस्थान कोर्टफीस एण्ड सूट वेलूएशन रूल्स 1961 के नियम 27 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी को 90,520/- रुपये राज्य सरकार के पत्रांक प. 2 (32) F.D./कर/06 दिनांक 07.03.2007 के अनुसार स्टाम्प रिफण्ड कटौती 6.25 प्रतिशत की दर से 5658/- रु० की कटौती करते हुये शेष राशि 84,862/-रुपये (अक्षरे- चौरासी हजार आठ सौ बासठ रुपये) का भुगतान प्रार्थी श्री राजराजेश्वर दत्त जोशी आ० घनश्याम लाल जोशी जाति ब्राहामण निवासी नवजीवन संघ कॉलोनी, नैनवां रोड़, बून्दी जिला बून्दी को करने की स्वीकृति दी जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव, R.A.S.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

बून्दी (राज०)